Title : Need to include the Rajasthani language in Eighth Schedule of the Constitution.

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये।

राजस्थानी भाषा को विश्व सभी भाषाविदों ने एकमत से अत्यंत समृद्ध भाषा मानकर इसे विश्व भाषा क्रम में 16वां स्थान दिया है। राजस्थानी भाषा का इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। 8वीं शताब्दी में कवि उद्योतम सूरी ने 'कुवलयमाल' नामक राजस्थानी ग्रन्थ लिखा। विश्व के प्रसिद्ध भाषाविद् सर जार्ज ग्रियर्सन ने 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया' में इटली के डा. एल.पी. टेस्सीटोरी ने 'इंडियन अंटीक्वैरी' में हिन्दी के प्रख्यात समालोचक डा. नामवर सिंह ने 'पुरानी राजस्थानी' में एवं शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रो. कालीचरण ने 'राजस्थानी भाषा संरचनात्मक व्याकरण' नामक पुस्तकों में राजस्थानी भाषा को विश्व की श्रेठतम भाषाओं में शामिल किया है।

भारत की आजादी से पूर्व राजपूताने की सभी रियासतों का कामकाज राजस्थानी भाषा में ही होता था। राजस्थानी में लगभग ढाई लाख से ज्यादा पुरानी पुस्तकें छपी हुई हैं तथा लाखों ग्रन्थों की पांडुलिपियां ग्रंथागारों में पड़ी हैं। चेक विद्वान स्मेकल के अनुसार एशिया में लोक साहित्य का सबसे बड़ा भंडार राजस्थानी भाषा का ही है। राजस्थानी भाषा का नौ खंडों का शब्दकोा दुनिया के विशालतम शब्दकोों में से एक है। 73 बोलियों, उप बोलियों से समृद्ध इस भाषा में इतना ही श्रेठ व्याकरण भी उपलब्ध है। हाड़ौती, ढूंढाडी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, मालवी, पहाड़ी एवं भीली आदि बोलियों को बोलने वाली जनता, जिसमें प्रवासी राजस्थानी भी शामिल हैं, की संख्या लगभग बारह करोड़ के लगभग बताई जाती है। लोकतंत्र में इतने लोगों की मातृभाषा को सरकार न माने, यह दुखद स्थिति है। मान्यवर, यहां गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, पिछली सरकार के जो गृह मंत्री थे, जब बोड़ो, संथाली और मैथिली कोा 8वी अनुसूची में शामिल किया जा रहा था, तब हमने राजस्थानी भाषा को भी शामिल करने की मांग रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि समय आने पर राजस्थानी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा। गत 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके, पूरे राज्य ने एक स्वर से केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8 वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए।

अतः हम आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि राजस्थान के 12 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में अविलम्ब सम्मिलित कर राजस्थान के करोड़ों-करोड़ों लोगों को राहत प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विक्रम केशरी देव - उपस्थित नहीं।

श्री हरिकेवल प्रसाद - उपस्थित नहीं।